कार्यालयः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी पत्रांक-2356 /33-1 / दिनांक, मई 07 ,2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र0 लखनऊ।

- विषय :- जनपद झांसी में भारत रिलायंस बी०पी० मोबिलिटी लि० लखनऊ द्वारा ग्वालियर-झांसी मार्ग (एन०एच० ४४) के कि०मी० संख्या- 92.760 से 93.00 के मध्य दांयी पटरी पर खसरा संख्या- 422 ग्राम करारी, तहसील व जिला झांसी उ०प्र० में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन मार्ग से प्रभावित 0.1721221 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/148762/2021
- संदर्भ :- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-8बी / यू०पी० / 06 / 151 / 2022 / एफ०सी० / 786, दिनांक 19.12.2022 । 2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक- 3717 / 13-1, दिनांक 04.05.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक—8बी/यू०पी०/06/151/2022/एफ०सी०/786, दिनांक 19.12.2022 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ प्रदत्त सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या/बचनवद्धता बिन्दु संख्या—1 से 18 तक प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 04.05.2024 द्वारा 02 प्रतियोंमें इस कार्यालय को प्रेषित की है। अनुपालन आख्या की एक प्रति मूल में संलग्नक कर संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(महाबीर कीजालगी) वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक

🎖 बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या-2356 /समदिनांक।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को उनके पत्र दिनांक 04.05.2024 के कम में सूचनार्थ एवं

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(महामीर क्रीजालगी

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक

अबुन्दलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 3714 / 13-) दिनांक, झांसी, अप्रैल 04/05/2024

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र० झांसी ।

E-mail Address dfojhansi@gmail.com 121 Civil Line. Jhansi

विषय:-

जनपद झांसी में भारत रिलायंस बी०पी० मोबिलिटी लि० लखनऊ द्वारा ग्वालियर—झांसी मार्ग (N.H 44) के किमी० चैनेज 92.760 से 93.00 के मध्य दांयी पटरी पर खसरा सं० 422 ग्राम करारी, तहसील व जिला झांसी उ०प्र० में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन मार्ग से प्रभावित 0.1721221 है० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति ।

संदर्भ:-

भारत सरकार के ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Approach/148762/2021, दिनांक 19.12.2022 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कितपय शर्तों के साथ सैद्वान्तिक स्वीकित प्रदान की गयी है। सैद्वान्तिक स्वीकित की समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या / वचनवद्धता मय् अभिलेखों सिहत कार्यदायी संस्था द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त अनुपालन आख्या / वचनवद्धता संस्तुति की प्रति संस्तुति सिहत इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या / वचनवद्धता से मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को अवगत कराने की कृपा करें।

1. General Conditions

| Sr. No. | Conditions | Status of Compliance | | |
|---------|---|--|--|--|
| 1 | Legal status of the forest land shall remain unchanged. | शर्त संख्या-१ के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक-१) | | |
| 2 | Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department for Plantation Of 345 trees on 0.345 ha. In Bhagwantpura Forest Block Beat no 11, Compartment No 20, Tehsil- Jhansi, Distt- Jhansi, at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of species has to be avoided. | शर्त संख्या- 2 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु रू॰ 347985/- की धनराशि के Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC UBIN0996335, A/c NO.1509070155712676 में जम कर दिया गया है, जिसका चालान एवं पेमेंट हिस्ट्री संलग्न है। साथ ही वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक | | |
| 3 | The cost of compensatory afforestation at the Prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of Survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in with the forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 yrs. The Scheme may include appropriate Provision for anticipated cost increase for works Scheduled for Subsequent Years. | 2, 3 & 4) शर्त संख्या- 3 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु रु॰ 347985/- की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC UBIN0996335, A/c NO.1509070155712676 में जमा कर दिया गया है, जिसका चालान एवं पेमेंट हिस्ट्री संलग्न है। साथ ही वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक- | | |
| 4 | The State Government shall Charge the net Present Value for the 0.1721221 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA NO. 566 in WP© No. 202/1995 and as per the guideline | शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 0.1721221 है॰ एन॰पी॰वी॰ रु॰ 164855/- की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC UBIN0996335, A/c NO.1509070155712676 में जमा कर दिया गया है, जिसका चालान एवं पेमेंट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक- 3 & 4) | | |

| 1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter no. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard Revised amount of NPV as applicable as perorders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by user agency in this regard. | |
|---|---|
| if any, becoming due after finalization of the same by the hon'ble Supreme court of India on receip of the report from the Expert Committee, shal be charged by the State Government from the user agency. The User agency shall Furnish | संलग्न है। (संलग्नक - 6) |
| The Complete Compliance of the F.R.A 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District collector. | ************************************** |
| No Violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided. | शर्त संख्या- ७ के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 8) |
| Greenery Will be maintained by user agency around Periphery of Petrol Pump. | Greenery Will be maintained by user agency around Periphery of Petrol Pump. |
| and exit for plantation and conservation of | संलग्न है। (संलग्नक - 10) |
| Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station. | Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station. |
| Certificate of DFO certifying that the Proposed RO is not in Close Proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided | शर्त संख्या- 11 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 12) |
| be Suitably demarcated on ground at the Project Cost, as per the direction of the Concerned Divisional Forest Officer. | शर्त संख्या- 12 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 13) |
| shall be Coterminous with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. | शर्त संख्या- 13 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 14) |
| The KML File of the Area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC Work, the Proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch Portal with all requisite details before Commencecement of Works. | शर्त संख्या- 14 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 15) |
| Any order of Temporary Work Permission in case of linear Projects For tree Cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be Passed Under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission has to be uploaded on Parivesh portal as well. Nodal officer will Strictly Monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission. | शर्त संख्या- 15 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 16) |
| Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may Stipulate from time to time in the interest of conservation, Protection and development of forests & Wildlife. | शर्त संख्या- 16 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 17) |
| | Additional amount of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the hon'ble Supreme court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shal be charged by the State Government from the user agency. The User agency shall Furnish an undertaking to this Effect. The Complete Compliance of the F.R.A 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District collector. No Violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided. Greenery Will be maintained by user agency around Periphery of Petrol Pump. User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station. Certificate of DFO certifying that the Proposed RO is not in Close Proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided The Boundary of the diverted forest land shall be Suitably demarcated on ground at the Project Cost, as per the direction of the Concerned Divisional Forest Officer. The Period of diversion under this Approval shall be Coterminous with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. The KML File of the Area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC Work, the Proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch Portal with all requisite details before Commencecement of Works. Any order of Temporary Work Permission in case of linear Projects For tree Cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be Passed Under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission has to be uploaded on Parivesh portal as well. Nodal officer will Strictly Monitor and ensure than of urther activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission. Any other |

| . 17 | All the funds received from the user agency under the Project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-Portal (https://parivesh.nic.in) | शर्त संख्या- 17 के अनुपालन में समस्त धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC UBIN0996335, A/C NO.1509070155712676 में जमा कर दिया गया है। जिसका चालान एवं पेमेंट हिस्ट्री संलग्न है।(संलग्नक-3 & 4) |
|------|--|--|
| 18 | 0The Compliance report shall be Uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in) | शर्त संख्या-18 के अनुपालन में Compliance Reports आपके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने पर https://Parivesh.nic.in के e-Portal पर अपलोड कर दी जायेगी। |

भवदीय

(जैं0बीं) शेंडे) प्रभागीय वनाधिकारी

पृष्ठांकन संख्या 3714 /अ/समदिनांक प्रतिलिपि: — मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(ज्**०वी० शेंडे)** प्रभागीय वनाधिकारी झांसी वन प्रभाग, झांसी

Letter No: - RBML/01

सेवा में, प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, झाँसी ।

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपो लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज कमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 है॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

सन्दर्भ: कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी वन प्रभाग द्वारा जारी पत्रांक 2437/15-1, दिनाँक 31.12.2022.

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त पत्रांक के क्रम में और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू॰पी॰/06/151/2022/एफ॰सी॰/786, दिनॉक 19.12.2022 के दृष्टिगत जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 है॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमित के सम्बन्ध में शर्तवार अनुपालन आख्या निम्नवार है:

| S.No. | Condition | Compliance | | |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | Legal Status of the Forest land Shall remain unchanged | शर्त संख्या-1 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक-1) | | |
| 2 | Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department for Plantation Of 345 trees on 0.345 ha. In Bhagwantpura Forest Block Beat no 11, Compartment No 20, Tehsil- Jhansi, Distt-Jhansi, at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of species has to be avoided. | शर्त संख्या- 2 के अनुपालन में क्षातिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु रू० 347985/- की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC UBIN0996335, A/C NO.1509070155712676 में जमा कर दिया गया है, जिसका चालान एवं पेमेंट हिस्ट्री संलग्न है। साथ ही वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2, 3 & 4) | | |

Reliance BP Mobility Limited: Petroleum Department. 2nd Floor, Reliance House, RK Four Square, Building No. 4, DLF Cyber City, Phase - 2, Gurugram - 122002, Haryana



| S.No. | Condition | Compliance |
|-------|--|--|
| 3 | The cost of compensatory afforestation at the Prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of Survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in with the forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 yrs. The Scheme may include appropriate Provision for anticipated cost increase for works Scheduled for Subsequent Years. | शर्त संख्या- 3 के अनुपालन में क्षितिपूर्व वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु रूठ 347985/- की धनराशि को Fores Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA IFSC UBIN0996335, A/O NO.1509070155712676 में जमा कर दिय गया है, जिसका चालान एवं पेमेंट हिस्ट्री संलग्न है। साथ ही वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक- 5, 3 & 4) |
| 4 | The State Government shall Charge the net Present Value for the 0.1721221 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA NO. 566 in WP© No. 202/1995 and as per the guideline issued by the ministry vide letters no. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter no. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by user agency in this regard. | शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 0.1721221 हे॰ एन॰पी॰वी॰ रू॰ 164855/- की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC UBIN0996335, A/C NO.1509070155712676 में जमा कर दिया गया है, जिसका चालान एवं पेमेंट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक- 3 & 4) |
| 5 | Additional amount of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the hon'ble Supreme court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the user agency. The User agency shall Furnish an undertaking to this Effect. | शर्त संख्या- 5 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 6) |
| 6 | The Complete Compliance of the F.R.A 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District collector. | शर्त संख्या- 6 के अनुपालन में FRA 2006 प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 7) |
| 7 | No Violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided. | शर्त संख्या- 7 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 8) |
| 8 | Greenery Will be maintained by user agency around Periphery of Petrol Pump. | शर्त संख्या- 8 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 9) |
| 9 | User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall | शर्त संख्या- 9 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 10) |

Reliance BP Mobility Limited: Petroleum Department, 2nd Floor, Reliance House, RK Four Square, Building No. 4, DLF Cyber City, Phase - 2, Gurugram - 122002, Harvana

(FORMERLY JIO INFORMATION SOLUTIONS LIMITED)

| S.No. | Condition | Compliance | | | |
|-------|---|---|--|--|--|
| 10 | Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station. | शर्त संख्या- 10 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 11) | | | |
| 11 | Certificate of DFO certifying that the Proposed RO is not in Close Proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided | शर्त संख्या- 11 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 12) | | | |
| 12 | The Boundary of the diverted forest land shall be Suitably demarcated on ground at the Project Cost, as per the direction of the Concerned Divisional Forest Officer. | शर्त संख्या- 12 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 13) | | | |
| 13 | The Period of diversion under this Approval shall be Coterminous with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. | शर्त संख्या- 13 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 14) | | | |
| 14 | The KML File of the Area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC Work, the Proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch Portal with all requisite details before Commencecement of Works. | शर्त संख्या- 14 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 15) | | | |
| 15 | Any order of Temporary Work Permission in case of linear Projects For tree Cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be Passed Under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission has to be uploaded on Parivesh portal as well. Nodal officer will Strictly Monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission. | शर्त संख्या- 15 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 16) | | | |
| 16 | Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may Stipulate from time to time in the interest of conservation, Protection and development of forests & Wildlife. | शर्त संख्या- 16 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक - 17) | | | |
| 17 | All the funds received from the user agency under the Project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-Portal (https://parivesh.nic.in) | शर्त संख्या- 17 के अनुपालन में समस्त धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC UBIN0996335, A/C NO.1509070155712676 में जमा कर दिया गया है। जिसका चालान एवं पेमेंट हिस्ट्री संलग्न है।(संलग्नक- 3 & 4) | | | |

Reliance BP Mobility Limited: Petroleum Department, 2nd Floor, Reliance House, RK Four Square, Building No. 4, DLF Cyber City, Phase - 2, Gurugram - 122002, Haryana

(FORMERLY JIO INFORMATION SOLUTIONS LIMITED)



| S.No. | Condition | Compliance |
|-------|---|---|
| 16 | The Compliance report shall be Uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in) | शर्त संख्या-18 के अनुपालन में Compliance Reports आपके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने पर https:/Parivesh.nic.in के e-Portal पर अपलोड कर दी जायेगी। |

अतः महोदय से निवेदन है कि वह उपरोक्त संदर्भित पत्रों की अनुपालन आख्या पर आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

Albiga Alexano

For Relia to EP

रिलायंस बी॰पी॰ मोबिलिटी लिमिटेड Authorised Signatory



शर्त संख्या -1 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या -1 के अनुसार "The Legal Status of the Forest Land shall remain Unchanged." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

(जि**० जी० जेंडे**) प्रभागीय वनाधिकारी

अग्रेसित

श्रांसी वन प्रधाग, श्रांसी

For Reliance BP Mobility Limited

Authorised Signatory

रिलायंस बी॰पी॰ मोबिलिटी लिमिटेड



शर्त संख्या -2 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कितपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र बिन्दु संख्या 2 के अनुसार "Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department for Plantation of 345 trees on 0.345 ha. In Bhagwantpura Forest, Block Beat no 11, Compartment No 20, Tehsil - Jhansi, District - Jhansi, at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of species has to be avoided." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

अग्रेसिल (जैंग्बी० ग्रेंडे) प्रमागीय वनाधिवतरी झाँसी वन प्रमाग, झाँसी

For Reliance BP Mobility Limited

ALIST N M M

Authorised Signatory

रिलायंस बी॰पी॰ मोबिलिटी लिमिटेड

AGENCY COPY







NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 15-02-2024

| Agency Name. | M/S RELIANCE BP MOBILITY LIMITED | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|
| Application No. | 70148762111 | | | | |
| MoEF/SG File No. | 8B/UP/06/151/2022/FC | | | | |
| Location. | UTTAR PRADESH | | | | |
| Address. | Eldeco Corporate Chamber- 2, 9th Floor, Bibhuti Khand, Gomti Nagar, LucknowLucknow | | | | |
| Amount(in Rs) | 512840/- | | | | |

Amount in Words :Five Lakh Twelve Thousand Eight Hundred and Forty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

| Beneficiary Name: | UTTAR PRADESH CAMPA |
|-------------------------|---|
| IFSC Code: | UBIN0996335 |
| Pay to Account No. | 1509070148762111 Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challeven after 7 working days, then kindly that a copy of y id to Email: fcsbir@unionbankoffndia.bank, epurse@ubin0903710@unionbankoffndia.bank

अग्रेसित (जुली० जेडे) प्रमागीय वनािजरी माँची का

For Reliance BP Mobility Limited

ALLIGEM 4 MV

Authorised Signatory

/ESH

Ministry of Environment, Forest and Climate Cho Government of India

usive locilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Proposals Environment Clearance - Only CRZ Clearance - My Proposals Forest Clearance - My Proposals Wildlife Clearance - Help -

Online payment history made by User Agency under CAMPA

| Application_No | Application No (New) | Date of IN- PRINCIPLE | Amount to be | Paid/Amount P | aid (in Rs.) | | Payment Status | Payment Detail | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------|----------------|---|--|
| APPROACH148762202111 | 170148762111 | 19 Dec 2022 | CA: PCA: Safety Zone: NPV: NIL: NIL: NIL: Total: | 347985/- , 0/- , 0/ 164855/- , 0/- 0/- 0/- 0/- 512840/- | Addl CA: CAT: Addl PA: NIL: | 0/- 0/- 0/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date | :07 Feb 2 :Union Ba :NEFT/RT :15 Feb 2 :16 Feb 2 |

अग्रेसित (जेंग्बी० जेंडे) प्रभागीय वनाधिकारी झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

For Reliance BP Mobility Limited

Al Laditionsed signator



शर्त संख्या -3 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊके द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कितपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार "The Cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the Cost of Survey, demarcation and erection of Permanente pillars if required on the CA Land Maintained for 10 years. The Scheme' may include appropriate Provision for anticipated Cost increase for Works Scheduled For subsequent Years." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

अग्रेसित (जैं०की शेंडे) प्रभागीय वनायिकारी ग्रांसी वन प्रभाग, ग्रांसी

For Reliance BR Mobility Imuted
Authorised Signatory
रिलायंस बी॰पी॰ मोबिलिटी लिमिटेड



शर्त संख्या -5 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कितपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार "Additional Amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on Receipt of the Report from the Expert Committee Shall be Charged by the State Government from the User Agency Shall Furnish an undertaking to this Effect.." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

अग्रेसित (जं० जें० शेंडे) प्रमागीय वनाधिकारी औसी वन प्रमाग, शाँसी For Reliance BP Monthly Limites

रिलायंस बी॰पी॰ मोबिलिटा लिमिटेड

Government of Uttar Pradesh

Office of District Collector, Jhansi, (U.P.)

No. 2698/15-1 Dated at Jhansi 13-01-2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that 0.1721221 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Reliance BP Mobility Limited, Lucknow (name of user agency) for the construction of approach road for fuel station (purpose for diversion of forest land) in the district falls within the jurisdiction of Jhansi villages Karari in Jhansi Tehsils having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that.

- a) The Protected Forest (s) namely Jhansi-Agra Road involved in the above villages are plantation raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no (s) 1115/XIV-331-50, dated 10.02.1960.
- b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

Divisional Forest officer
Divisional Forest Officer
Jhansi Forest Division,
JHANSI

District Collector



शर्त संख्या -7 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कितपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार "No violation of FCA Certificate from concerned DFO shall be provided." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

अग्रीसत

(जिंद्यी० शेंडे) प्रमागीय वनिधकारी झाँसी वन प्रभाग, झाँसी Authorised Signatory
रिलायंस बी॰पी॰ मोबिलिटी लिमिटेड

Reliance BP Mobility Limited: Petroleum Department, 2nd Floor, Reliance House, RK Four Square, Building No. 4, DLF Cyber City, Phase - 2, Gurugram - 122002, Haryana.



शर्त संख्या -8 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कितपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार "Greenery will be maintained by user agency around periphery of petrol pump." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

अग्रेसित (जिंडी) शेंडे) प्रमागीय वनाधिकारी झाँसी वन प्रमाग, झाँसी

For Reliance BR Mobility Limited

Authorised Signatory

रिलायंस बी॰पी॰ मोबिलिटी लिमिटेड



शर्त संख्या -10 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार "Plantation shall also be done along the inside boundary of fuel station." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

अग्रेसित (जैंट्बी० शेंडे) प्रभागीय वनाविकारी बाँसी वन प्रभाग, झोंसी For Reliance BP Mobility Limited
For Reliance BP Mobility Limited
Authorised Signatory
रिलायंस बी॰पी॰ मोबिलिटी लिमिटेड



Condition No.: 11

Certificate

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या द्वारा जारी में से बिंदु संख्या 11 का प्रमाण पत्र

This is to certify that the proposed Retail Outlet is not in close proximity of any existing Retail Outlet in accordance with MORTH guidelines dated 24.07.2022.

अग्रीसत

प्रणानीय वनाविकारी झाँसी वन प्रभाग, झाँसी For Reliance BP Mobility Limited

Authorised Signatory



शर्त संख्या -11 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कितपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या 12 के अनुसार "Certificate of DFO certifying that the proposal RO is not close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24.07.2022 has to be provided." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

अग्रेसित (जंडी) शेंडे) प्रमागीय वनाधिकारी झाँसी वन प्रभाग, झाँसी For Reliance BP Mobility Limited
AUL'OWN JWY
Authorised Signatory
रिलायंस बी॰पी॰ मोबिलिटी लिमिटेड

Reliance BP Mobility Limited: Petroleum Department, 2nd Floor, Reliance House, RK Four Square, Building No. 4, DLF Cyber City, Phase - 2, Gurugram - 122002, Haryana



शर्त संख्या -12 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कितपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या 13 के अनुसार "The Boundary of the diverted forest land shall be Suitably demarcated on ground at the Project Cost, as per the direction of the Concerned Divisional Forest Officer." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

अग्रेसित जिल्बी० शेंडे) प्रभागीय वनाधिकारी होंदी वन प्रणा, झाँसी

For Reliance BP Mobility Limited
Authorised Signatory

रिलायंस बी॰पी॰ मोबिलिटी लिमिटेड



शर्त संख्या -13 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या 13 के अनुसार "The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the Project Life, Whichever is less." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

अग्रेसिल (जें०बीं० जेंडे) प्रमागीय वनाधिकारी झाँसी वन प्रयाण क्यांची For Reliance BP Mobility Limited

Authorised Signatory

रिलायंस बी॰पी॰ मोबिलिटी लिमिटेड



शर्त संख्या -14 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कितपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार "The KML File of the Area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC Work, the Proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch Portal with all requisite details before Commencement of Works." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

(जैंठबी० शेंडे) प्रमागीय वनधिकारी

(जैंकी० शेंड) प्रभागीय वनाधिकारी झाँसी वन प्रभाग, झाँसी For Rellance BP Mobility Limited

Authorised Signatory

रिलायंस बी॰पी॰ मोबिलिटी लिमिटेड



शर्त संख्या -15 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कितपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार "Any order of Temporary Work Permission in case of linear Projects For tree Cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be Passed Under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission has to be uploaded on Parivesh portal as well. Nodal officer will Strictly Monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

अग्रेसित (जिंकी० शेंडे) प्रभागीय वनाविकारी झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

For Reliance BP Mobility Limited

Authorised Signatory

रिलायंस बी॰पी॰ मोबिलिटी लिमिटेड



शर्त संख्या -16 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.1721221 हे॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना पातन की अनुमित के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/148762/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कितपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या 17 के अनुसार "Any other condition that the Ministry of Environment, Forests& Climate Change may Stipulate from time to time in the interest of conservation, Protection and development of forests & Wildlife." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

अग्रेसित (जैं०की० गेंडे) प्रमागीय वनाधिकारी झौंसी वन प्रमाग, झाँसी For Reliance BP Mobility Limited

Authorised Signatory



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद झाँसी में रिलायंस बीपी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा ग्वालियर झाँसी मार्ग, एन॰एच॰ 44 के किलोमीटर चैनेज क्रमांक 92.760 से 93.000 के मध्य दायीं पटरी पर खसरा नंबर 422, ग्राम करारी, तहसील एवं जिला झाँसी में प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पंप स्थल के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित संरक्षित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है और सम्पर्क मार्ग निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

अग्रेसित

प्रमागीय वनाधिकारी झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

वेत्रीय वेन अधिकारी झाँसी For Reliance BP Mobility Limited

Authorised Signatory



Condition No.: 11

Certificate

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या द्वारा जारी में से बिंदु संख्या 11 का प्रमाण पत्र

This is to certify that the proposed Retail Outlet is not in close proximity of any existing Retail Outlet in accordance with MORTH guidelines dated 24.07.2022.

अग्रीसत

प्रणानीय वनाविकारी झाँसी वन प्रभाग, झाँसी For Reliance BP Mobility Limited

Authorised Signatory